


23.01.25

पत्रावली बेशुद्ध। वकील वादी या वादी खर्च  
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए। कृत वादी का वादपत्र अदम  
पेशी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर पारिज  
क्रिया जाता है। पत्रावली बाद तरीक तकनीक  
होकर शाकिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर बुले-अपपलप  
में सुनाया गया।

  
(दीपक-चन्दन)  
RAS